भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-209

उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025

सोमवार,30 आषाढ़ 1947(शक)

प्रशिक्षुवृत्तिका को बढ़ाने के लिए सीएसई का प्रस्ताव

209. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

श्री मनीष जायसवाल:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद (सीएसई) ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना और राष्ट्रीय अप्रेंटेंशिप प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुवृत्तिका में 30 प्रतिशत की वृद्धि के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया है, ताकि कौशल विकास को रोजगारोन्मुखी बनाया जा सके, ड्रॉपआउट को कम किया जा सके और विभिन्न क्षेत्रों में अधिक अभ्यर्थियों को आकर्षित किया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सूचना प्रोद्योगिकी, दूरसंचार, जैव प्रोद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे लोकप्रिय क्षेत्रों को उक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षुवृत्तिका के लिए चयनित क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एक लाख छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है/करने वाली है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) भारत में शिक्षुता प्रशिक्षण, शिक्षु अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित है और यह उद्योग के नेतृत्व में,'ऑन द जॉब ट्रेनिंग' के माध्यम से कौशल विकास के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत गठित केंद्रीय शिक्षुता परिषद

(सीएसी) राष्ट्रीय शिक्षुता नीतियों की रूपरेखा तैयार करने, उद्योग की मांगों के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण को तैयार करने और अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिनांक 26 मई 2025 को आयोजित केंद्रीय शिक्षुता परिषद (सीएसी) की 38वीं बैठक ने देश के शिक्षुता इकोसिस्टम के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है । इसमें लिए गए प्रमुख निर्णयों में शिक्षु वजीफों में 36% की वृद्धि करने और भविष्य में इसके संशोधन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना था। केंद्रीय शिक्षुता परिषद (सीएसी) की सिफ़ारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है और शिक्षुता नियम, 1992 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि इसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जा सके। संशोधित वजीफा ढांचा शिक्षुता अधिनियम,1961 के अंतर्गत कार्यरत सभी शिक्षुओं सहित सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों के शिक्षुओं पर भी लागू होगा।

(ड.) यह मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस प्रयास के एक हिस्से के रूप में, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पर उपलब्ध 'एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप' नामक एक स्व-अधिगम माइक्रो-मॉड्यूल में दिसंबर 2024 में इसकी शुरुआत के बाद से 23,163 नामांकन हुए हैं, जिसमें से अब तक 11,089 प्रतिभागी प्रमाणित किए गए हैं। सिद्ध एक मोबाइल-फर्स्ट डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) है जो कौशल भारत और डिजिटल भारत पहल को एकीकृत करता है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, कुल 34,709 व्यक्तियों को एआई से संबंधित नौकरी भूमिकाओं जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेवऑप्स (DevOps) इंजीनियर को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण, चार या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को एआई से संबंधित 'ऑन द जॉब ट्रेनिंग' के अवसर प्रदान करने की अनुमति देता है। एनएपीएस-2 के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 30 जून, 2025 तक) के बीच एआई से संबंधित आठ ट्रेडों में 1,480 शिक्षुओं को नियुक्त किया गया है। मूलभूत एआई प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए, वर्ष 2024-25 सत्र से सभी 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट नामक एक नई शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) ट्रेड शुरू की गई है, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 504 छात्रों की है।

*****